विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
8(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि जनपद- सिद्धार्थनगर के कारागार के मुख्य प्राचीर के बाहर-भीतर निरीक्षण पथ के निर्माण के नाम पर 87.94 लाख तथा जल निकासी के नाम पर पक्की नाली निर्माण हेतु 42.11 लाख तथा पक्का पाथवे के नाम पर 42.59 लाख के साथ-साथ सामूहिक कार पार्किंग के नाम पर 31.28 लाख कुल 02 करोड़ 04 लाख 92 हजार की धनराशि कार्य़दायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है?	जी हाँ, शासनादेश संख्या-59/2023/001-22-4-2023-966-2023, दिनाँक 26.10.2023 के अनुसार जिला कारागार सिद्धार्थनगर मे मुख्य प्राचीर के बाहर व भीतर लगभग 1990 मीटर निरीक्षण पथ का निर्माण कार्य (1.20 मी0 व 1.50 मी0 चौडा) हेतु धनराशि रू0 87.94 लाख, कारागार के अन्दर पानी निकासी हेतु लगभग 1600 मीटर पक्की नाली के निर्माण कार्य़ हेतु धनराशि रू0 42.11 लाख, कारागार के चक्र एवं सभी अहातों के मध्य पक्का पाँथ-वे लगभग 1000 मीटर निर्माण कार्य़ (1.20 मी0 चौडाई) हेतु धनराशि रू0 42.59 लाख तथा सामूहिक कार पार्किंग 20×8 मी0 शेड के निर्माण हेतु धनराशि रू0 31.28 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 02 करोड़ 03 लाख 92 हजार मात्र की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है।
(ख) यदि हाँ, तो अब तक निर्माण कार्य की स्थिति क्या है ?	1. जनपद सिद्धार्थनगर के जिला कारागार में बाहय 1050×1.20 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य पूर्ण एवं आन्तरिक 940×1.50 मीटर सी0सी0 रोड के सापेक्ष 915 मीटर कार्य़ पूर्ण हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। 2. जनपद सिद्धार्थनगर के जिला कारागार के अन्दर पानी निकासी हेतु लगभग 1600 मीटर पक्की नाली के निर्माण के सापेक्ष 1495 मीटर नाली का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। 3. जनपद सिद्धार्थनगर के जिला कारागार में 1000×1.20 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

	4. जनपद सिद्धार्थनगर के जिला कारागार में सामूहिक कार पार्किंग 20×8 मीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
(ग) क्या जिला कारागार प्रशासन की मिलीभगत से बड़े रूप में भ्रष्टाचार किया जा रहा है?	जी नही ।
(घ) क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे?	प्रचलित व्यवस्थानुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् शासनादेश सख्या-1390/22-4-2021-119(ब)/2000टीसी-4, दिनाँक 23.05.2022 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार की अध्यक्षता में गठित समिति से स्थलीय जाँच / निरीक्षण कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जाती है।

दारा सिंह चौहान
मंत्री
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग।